

सचिका सं०-म०/बजट-05/2026 32 /

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
(मत्स्य निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
बिहार, पटना।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 30.09.2026

विषय :

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना एवं सात निश्चय-2 के तहत "विशेष घटक पैकेज योजना" (अनुसूचित जाति/जनजाति/अति पिछड़ा) हेतु कुल ₹4248.076 लाख (बयालीस करोड़ अड़तालीस लाख सात हजार छः सौ) मात्र के अन्तर्गत द्वितीय चरण में कुल ₹1359.38432 लाख (तेरह करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार चार सौ बत्तीस रु०) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी-I एवं II के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-6एस0एस0(6)37/2023-2578 दिनांक-01.06.2026 एवं शुद्धिपत्र सं०-1626/27.08.2026 के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल ₹4248.076 लाख (बयालीस करोड़ अड़तालीस लाख सात हजार छः सौ) मात्र के अन्तर्गत द्वितीय चरण में कुल ₹1359.38432 लाख (तेरह करोड़ उनसठ लाख अड़तीस हजार चार सौ बत्तीस रु०) मात्र का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में-

(i) तालाब मात्स्यिकी विशेष सहायता योजनान्तर्गत (क) माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-अंतर्देशीय मछलीपालन, उप शीर्ष-0104-तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार, विपत्र कोड 02-2405001010104 के तहत विषय शीर्ष-0104.13.01-कार्यालय व्यय तथा विषय शीर्ष-0104.33.01-सब्सिडी मद, (ख) माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- उपशीर्ष-0101- मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड-02-2405007890101 विषयशीर्ष-01.33.01-सब्सिडी मद एवं (ग) माँग संख्या-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0109-मछुआरों की सहायता, विपत्र कोड-02-2405007960109, विषय शीर्ष-0109.33.01-सब्सिडी मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।

(ii) पटारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना अन्तर्गत (क) माँग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-मत्स्य संपदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007890102 विषय शीर्ष-0102.33.01-सब्सिडी मद एवं (ख) माँग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातियों क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0110-मत्स्य संपदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड 02-2405007960110 के विषय शीर्ष-0110.33.01-सब्सिडी मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।

3. योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग का पत्रांक 345 दि० 25.03.2021 (जिसके तहत योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से अधिक व्यय निषेध होगा) के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा :-

2 Anti

7

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि सं अधिक व्यय नहीं हो।
6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी0भी0 नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2027 तक अवश्य भेज दें।
8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
9. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नक :- विवरणी-I-II

विश्वासभाजन

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक : म०/बजट-05/202632/

मत्स्य/पटना, दिनांक : 30.09.2026

प्रतिलिपि :

1. विवरणी-I एवं II की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. विवरणी-I एवं II की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (संबंधित)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. विवरणी-I एवं II की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/रोकड़पाल, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. विवरणी-I एवं II की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

निदेशक मत्स्य

विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सात निश्चय-2 के तहत "पटारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना" हेतु जिलावार लक्ष्य की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	जिला	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	"पटारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना" (सब्सिडी 80 प्रतिशत)						
			(इकाई लागत 10.34 लाख/प्रति यूनिट (1 युनिट=0.4 एकड़)						कुल वर्तमान आवंटन (32 प्रतिशत)
			अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-02.2405007890102 विषय शीर्ष 0102.33.01-सब्सिडी मद)			अनुसूचित जनजाति (विपत्र कोड 02-2405007960110 विषय शीर्ष-0110.33.01-सब्सिडी मद)			
			भौतिक (यूनिट)	वित्तीय	वर्तमान आवंटन (32 प्रतिशत)	भौतिक (यूनिट)	वित्तीय	वर्तमान आवंटन (32 प्रतिशत)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बांका	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।	23.00	190.25600	60.88192	2.00	16.54400	5.29408	66.17600
2	कैमूर		23.00	190.25600	60.88192	2.00	16.54400	5.29408	66.17600
3	जमूई		20.00	165.44000	52.94080	5.00	41.36000	13.23520	66.17600
4	औरंगाबाद		22.00	181.98400	58.23488	0.00	0.00000	0.00000	58.23488
5	गया		22.00	181.98400	58.23488	0.00	0.00000	0.00000	58.23488
6	नवादा		22.00	181.98400	58.23488	0.00	0.00000	0.00000	58.23488
7	मुंगेर		20.00	165.44000	52.94080	2.00	16.54400	5.29408	58.23488
8	रोहतास		18.00	148.89600	47.64672	2.00	16.54400	5.29408	52.94080
9	लखीसराय		8.00	66.17600	21.17632	2.00	16.54400	5.29408	26.47040
10	शेखपुरा		10.00	82.72000	26.47040	0.00	0.00000	0.00000	26.47040
11	नालंदा		5.00	41.36000	13.23520	0.00	0.00000	0.00000	13.23520
कुल योग			193.00	1596.49600	510.87872	15.00	124.08000	39.70560	550.58432
कुल आवंटित राशि 550.58432/- (पाँच करोड़ पचास लाख अठान्न हजार चार सौ बत्तीस रू० मात्र)।									

[Signature]
निदेशक मत्स्य

[Signature]

दिनांक वर्ष 2026-27 में लागू भासिक विषय सहायता योजना
(अनुसंधान गति/जनगति/अतिथिपत्र) द्वितीय विचारणीय गति

ਮਾਮਲਾ ਨੰ ੭੮ ਫ਼ਤਵਾਹ

[illegible]